

**भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई)**  
**(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)**

**महानिदेशक के पद को भरने के लिए विज्ञापन**

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) महानिदेशक, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई), 1991 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा स्थापित की गई एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है, जिसका उद्देश्य भारत से सॉफ्टवेयर नियंत्रित को प्रोत्साहित करना, संवर्धन करना और बढ़ावा देना है। एसटीपीआई परामर्श, प्रशिक्षण और कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करने के लिए आंतरिक इंजीनियरिंग संसाधनों को बनाए रखता है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में नेटवर्क डिज़ाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन, इंस्टालेशन, ऑपरेशंस और विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग नेटवर्कों और सुविधाओं का रखरखाव शामिल हैं। एसटीपीआई के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं: (क) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम सेवाओं/बायो-आईटी सहित सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास और नियंत्रित को बढ़ावा देना, (ख) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी)/इलेक्ट्रॉनिकी और हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजनाओं और सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई और सौंपी जाने वाली अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा नियंत्रिकों को सांविधिक और अन्य संवर्धनात्मक सेवाएं प्रदान करना, (ग) आईटी/आईटी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) से संबंधित उद्योगों को मूल्य वर्धित सेवाओं सहित तारीख संचार सेवाएं प्रदान करना और (घ) आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में उद्यमशीलता के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को बढ़ावा देना।

महानिदेशक, सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और सोसाइटी के समुचित प्रबंधन के लिए शासी परिषद/कार्यकारी समिति के निर्णयों को लागू करने और रणनीतियों और योजनाओं का विकास करने के लिए उनके पास प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां उपलब्ध हैं। महानिदेशक के कार्य और दायित्व निम्नानुसार हैं: -

- (i) महानिदेशक शासी परिषद के समग्र मार्गदर्शन में एसटीपीआई के प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे;
- (ii) महानिदेशक शासी परिषद के सदस्य सचिव होंगे।

- (iii) महानिदेशक इस तरह की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसा कि एसटीपीआई के चार्टर में उल्लेख किया है या उन्हें समय-समय पर शासी परिषद द्वारा प्रयायोजित की जाएंगी।
- (iv) महानिदेशक अपनी कुछ शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों को अधीनस्थ स्तरों पर सौंप सकते हैं।
- (v) महानिदेशक देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र/उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत और अन्य पण्धारकों के साथ मिलकर योजनाएं, रणनीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (vi) महानिदेशक देश से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्हें आईटी/आईटीईएस उद्योग की निरंतर जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचारी समाधानों का पता लगाने के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। वह बाजार पहुंच (मार्केट आउटरीच) और एफडीआई को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईटी/आईटीईएस उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

1. महानिदेशक, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) का पद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (₹1,82,200/- ₹2,24,100/-) के वेतनमान में है और इसे या तो सीधी भर्ती/आमेलन/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पद्धतियों से भरने का प्रस्ताव है। सीधी भर्ती / आमेलन पद्धति से पद भरे जाने की स्थिति में पद का कार्यकाल अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति की आयु (एसटीपीआई के यथालागू नियमों के अनुसार) तक है और यदि पद प्रतिनियुक्ति पद्धति से भरा जाता है, तो इसका कार्यकाल शुरआत में 5 वर्ष अथवा अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति की आयु, जो भी पहले हो, का होगा।

## 2. पात्रता मापदंड

### शैक्षिक योग्यता और अनुभव

क) सीधी भर्ती

क) शैक्षणिक अर्हता:-

इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / दूरसंचार / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर या डिजाइन / गणित / सांख्यिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स / प्रचालन अनुसन्धान / सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन / सूचना प्रौद्योगिकी में एम. एससी. के साथ योग्यता पश्चात 25 वर्ष का अनुभव।

या

इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / दूरसंचार / कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी/अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ योग्यता पश्चात 22 वर्ष का अनुभव।

या

उपरोक्त उद्धृत विषयों में से किसी में पीएचडी के साथ योग्यता पश्चात 17 वर्ष का अनुभव।

(ख) अनिवार्य अनुभव

उम्मीदवार को वरिष्ठ प्रबंधन के पद (क्षमता) पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

## II. वांछनीय: -

(i) भारत सरकार की नीतियां और (ii) कॉर्पोरेट प्रबंधन का संपूर्ण ज्ञान।

ख. आमेलन/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): -

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकाय के अधिकारी: -

(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

या

या

मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (₹1,44,200-₹2,18,200/-) के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

और

(ख) सीधी भर्ती पद्धति के लिए निर्धारित अर्हता (ओं) और अनुभव रखता हो।

नोट 1: केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन में या अन्य विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत बाद धारित अन्य किसी संवर्ग बाह्यपद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि अनुबंध सहित) आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

### 3. आयु सीमा

आवेदन की अंतिम तिथि को:

(i) सीधी भर्ती के लिए: 50 वर्ष

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा सीधी भर्ती पद्धति में 55 वर्ष (यानी  $50 + 5$  साल की छूट) होगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा सीधी भर्ती पद्धति में 53 वर्ष (यानी  $50 + 3$  वर्ष की छूट) होगी।

(ii) आमेलन के लिए: 56 वर्ष।

(iii) प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): 58 वर्ष।

**नोट 1:** सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली आयु-दूष्ट, समय-समय पर जारी डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार शासित होगा।

**नोट 2:** एमईआईटीवाई के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटियों में सेवारत कर्मचारियों को सीधी भर्ती के मध्यम से पांच वर्ष की आयु-दूष्ट दी जाएगी।

**नोट 3:** आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि दूरस्थ क्षेत्रों जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के पंगी उप-विभाग चंबा जिला, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह या संघ लक्ष्मीप के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अंतिम निर्धारित तारीख)।

#### 4. सामान्य:

- (i) योग्यता, अनुभव, जन्म तिथि आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की साक्षांकित प्रतियों के साथ सभी संदर्भों में पूर्ण विहित प्रपत्र में आवेदन अंतिम तिथि तक या उससे पहले पहुंचन जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोज़गार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन बाद होगी। इसके अतिरिक्त, आवेदन वाले लिफाफे पर "महानिदेशक (एसटीपीआई) के पद के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए तथा इसे उप निदेशक (एबीसी प्रभाग), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6-सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003, के नाम भेजा जाए।
- (ii) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के पंगी उप-विभाग चंबा जिला, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह या संघ राज्य क्षेत्र लक्ष्मीप के आवेदकों के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन बाद की तारीख होगी।

(iii) जो लोग सरकार/पीएसयू/स्वायत्त निकायों में काम कर रहे हैं, उन्हें अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना आवश्यक है, साथ में पांच वर्ष के एपीएआर कि प्रतियां, जो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई हों, जो अबर सचिव या समकक्ष के रैंक से नीचे रैंक का अधिकारी न हो, के साथ साथ सतर्कता/अनुशासनिक स्वीकृति भी भेजी जाए। अधिकारी की सत्यनिष्ठा को भी प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित किया जाए है कि उस पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है।

नोट:

1. आवेदन जो विज्ञापन में दर्शाई गई न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं और निर्धारित प्रपत्र में भी नहीं हैं, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
2. केवल छांटकर सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को ही निजी परस्पर संवाद के लिए बुलाया जाएगा। विज्ञापन में निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र ही उम्मीदवार को निजी परस्पर संवाद के लिए बुलाए जाने हेतु अर्हक नहीं बनाती है।

इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन प्रपत्र और अन्य विवरण के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित वेबसाइटों का भी संदर्भ ले सकते हैं।

[www.meity.gov.in;](http://www.meity.gov.in;)      [www.stpi.in;](http://www.stpi.in;)      [www.persmin.gov.in;](http://www.persmin.gov.in;)      और  
[www.ncs.gov.in](http://www.ncs.gov.in)

(नोट- विज्ञापन के किसी भाग की व्याख्या में संदेह अथवा भ्रम की स्थिति में इसका मूल पाठ अर्थात् अंग्रेजी वैध माना जाए।)